



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042026-272155
CG-DL-E-29042026-272155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2058]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2026/वैशाख 9, 1948

No. 2058]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2026/VAISAKHA 9, 1948

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

का.आ. 2131(अ).— पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना के अंतर्गत एन2 एवं एन3 श्रेणी के ई-ट्रकों हेतु चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) में संशोधन।

- पीएम ई-ड्राइव योजना को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा का. आ. 4259(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। ई-ट्रकों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को का. आ. 3081(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया तथा तत्पश्चात का. आ. 4481(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 2025 एवं का. आ. 1331(अ) दिनांक 13 मार्च, 2026 के माध्यम से संशोधित किया गया।
- अब ई-ट्रकों (एन2/एन3 श्रेणी) के पीएमपी के क्रमांक 5, 6 एवं 7 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्रम सं.	पीएमपी विक	एन2 और एन3 श्रेणी
5	बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)	1 सितम्बर 2026 से प्रभावी:

		<p>बीएमएस का विनिर्माण, जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली, वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट (यदि प्रदान किया गया हो), एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।</p> <p>31 अगस्त, 2026 तक बीएमएस के आयात की अनुमति दी जा सकती है।</p>
6	डीसी – डीसी कनवर्टर	<p>1 सितम्बर 2025 से प्रभावी:</p> <p>डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण जिसमें कम से कम असेंबलड पीसीबी (पीसीबीए), वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग का इंटीग्रेशन शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।</p> <p>1 सितम्बर 2026 से प्रभावी:</p> <p>डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों / अर्धचालकों / कनेक्टर्स की असेंबली, वायरिंग और क्रिम्पिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर / फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।</p>
7	वाहन नियंत्रण इकाई	<p>1 सितम्बर 2025 से प्रभावी:</p> <p>वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू) का विनिर्माण, जिसमें कम से कम एसेम्बल पीसीबी का इंटीग्रेशन(पीसीबीए), वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।</p> <p>1 सितम्बर 2026 से प्रभावी:</p> <p>वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू) का विनिर्माण, जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों/अर्धचालकों/कनेक्टर्स की असेंबली, वायरिंग, कनेक्टर फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, घरेलू स्तर पर किया जाएगा।</p>

[फा. सं. 14/18(2024)-AEI (30044)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2026

S.O. 2131(E).— Amendment to PMP for N2 and N3 category of e-Trucks under the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme

1. The PM E-DRIVE Scheme was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O. 4259(E) dated 29th September 2024. The Phased Manufacturing Programme (PMP) for e-Trucks was notified by MHI vide S.O. 3081 (E) dated 10th July 2025 and further amended by S.O. 4481(E) on 30th September 2025 and S.O. 1331(E) on 13th March 2026.

2. Now Sr. No. 5,6 & 7 of the PMP of e-Trucks (N2/N3) is further amended as below with effect from date of its publication in the Official Gazette.

S. No.	PMP Component	N2 and N3 Category
5	Battery Management System (BMS)	<p>With effect from 1st September 2026</p> <p>Manufacturing of BMS which at least includes assembly of electronic components/semiconductors/connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heatsink fitment (if provided), enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.</p> <p>Up to 31st August 2026, import of BMS may be permitted.</p>
6	DC – DC converter	<p>With effect from 1st September 2025:</p> <p>- Manufacturing of DC – DC converter which at least includes integration of assembled PCB (PCBA), wiring and crimping, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.</p> <p>With effect from 1st September 2026</p> <p>Manufacturing of DC – DC converter which at least includes assembly of electronic components/ semiconductors/connectors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.</p>
7	Vehicle Control Unit	<p>With effect from 1st September 2025:</p> <p>Manufacturing of Vehicle Control Unit (VCU) which at least includes integration of assembled PCB (PCBA), wiring, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.</p> <p>With effect from 1st September 2026</p> <p>Manufacturing of Vehicle Control Unit (VCU) which at least includes assembly of electronic components/ semiconductors/connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.</p>

[F. No. 14/18(2024)-AEI (30044)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.